तत्काल जारी करने हेतु

प्रस संक्षिप्त

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र

31 मार्च 2017 को समाप्त

वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

(वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 5)

प्रस संक्षिप्त

तत्काल जारी करने हेतु

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के विधान मंडल के पटल पर दिनांक **10.01.2019** को रखा गया।

इस प्रतिवेदन में एक अनुपालन लेखापरीक्षा 'अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा' तथा दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं सम्मिलित हैं। प्रेस संक्षिप्त में महत्वपूर्ण परिणामों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है:

अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के संचालन की लेखापरीक्षा

राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के संचालन पर ₹ 2,686.12 करोड़ (2012–17 के दौरान) का व्यय किया, जिसमें आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों के निर्माण के लिए ₹ 71.31 करोड़ की केन्द्रीय सहायता तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) के संचालन के लिए ₹ 244.66 करोड़ का सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) शामिल था।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) का वित्तीय प्रबंधन

- एमपी ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंसीयल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इन्सटीट्यूसंस सोसायटी (सोसायटी) द्वारा 2012–13 से 2016–17 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 282.19 करोड़ के सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) के लिए अवास्तविक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये गये। यद्यपि, ₹ 113.84 करोड़ की अप्रयुक्त शेष पाये गये।

- आठ से 15 वर्ष पूर्व 18 जिला कलेक्टरों को जारी ₹ 30.69 करोड़ के अग्रिम अगस्त 2018 तक असमायोजित बने रहे। इस असमायोजित अग्रिम में से, नमूना जांच किये गये तीन जिलों (धार, मंडला और शहडोल) में ₹ 6.03 करोड़ के अग्रिम के अभिलेख नहीं पाये गये।

––––निरन्तर

- आयुक्त, आदिवासी विकास वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के लिये सोसायटी के लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने को सुनिश्चित करने में विफल रहे। रोकड़ बही एवं अन्य लेजर उचित रूप से संधारित नहीं थे।

(विस्तृत विवरण भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन की कंडिका 2.1.3 (पृष्ठ क्रमांक 9 से 12) में है)

ई.एम.आर.एस. में शिक्षा की गुणवत्ता

- ई.एम.आर.एस. में शिक्षकों की अत्यधिक कमी थी, जिसने शिक्षा की गुणवत्ता एवं परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 29 ई.एम.आर.एस. में से 15 ई.एम.आर.एस. में प्राचार्यों के पद रिक्त पड़े थे, व्याख्याताओं के 120 पदों के विरूद्ध, 95 पद रिक्त थे और शिक्षकों के 180 पदों में से, 152 रिक्त थे। व्याख्याताओं और शिक्षकों का कोई भी पद नियमित कर्मचारियों द्वारा नहीं भरा गया था तथा कार्यरत कर्मचारी संविदा पर नियुक्त थे।

- विभाग ने शिक्षकों की भर्ती के लिए व्यापम से अनुरोध (जून 2014, जुलाई 2014 और जून 2015) किया था। हालांकि, व्यापम द्वारा शिक्षकों की भर्ती न किए जाने के कारण स्पष्ट नहीं थे।

- ई.एम.आर.एस. में विषयवार शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। 2012–13 से 2016–17 के दौरान ई.एम.आर.एस. के कक्षा 12 वीं के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 40.95 प्रतिशत से 78 प्रतिशत के मध्य रहा।

(विस्तृत विवरण भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन की कंडिका 2.1.4.1 (पृष्ठ संख्या 12 से 14) तथा अनुलग्नक 2.1.2 (पृष्ठ संख्या 33) में है)

आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में अपूर्ण आधारभूत संरचना/ सुविधाएं

- नमूना जांच किए गये 53 आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में अधोसंरचनात्मक कमियाँ थीः
  - ✓ 41 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में चारपाई की कमीः स्थान की कमी के कारण 3,674 छात्रों के विरूद्ध केवल 2,094 चारपाई (57 प्रतिशत) उपलब्ध थे। चारपाईयों की कमी की सीमा चार से 130 थी। परिणामस्वरूप, दो छात्रों द्वारा एक चारपाई साझा किया जा रहा था।
  - ✓ 24 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में भोजन कक्ष का निर्माण नहीं किया गया था और छात्र बरामदे/कक्षा में भोजन कर रहे थे।
  - ✓ मानदण्डों के अनुसार, 50–सीटर छात्रावास में छः शौचालयों की आवश्यकता थी। 36 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में मानदण्डों के विरूद्ध एक और 15 शौचालयों के बीच की सीमा में कमी थी।
  - ✓ 13 आवासीय विद्यालयों और नौ छात्रावासों में अधीक्षकों के लिए आवास का निर्माण नहीं किया गया था।

––––निरन्तर

- ✓ 11 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में रात्रिकालीन चौकीदार तैनात नहीं किये गये थे, जिनमें से चार बालिका आवासीय विद्यालय/छात्रावास थे।

- विभाग ने 2012–17 के दौरान 355 आश्रम शालाओं/ छात्रावासों/ कन्या शिक्षा परिसरों (के.एस.पी.) के लिए भवनों का निर्माण स्वीकृत किया था। इनमें से, 77 कार्य अपूर्ण थे और 91 कार्य स्थान चयन में देरी, भूमि की अनुपलब्धता एवं भूमि विवाद के कारण प्रारंभ नहीं किये जा सके थे।

(विस्तृत विवरण भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन की कंडिका 2.1.1.6.4 एवं 2.1.6.5 (पृष्ठ संख्या 18 से 21) में है)

बिना योजना के छात्रावासों का उन्नयन करना

जनजातीय कार्य विभाग ने एस.टी. के लिए 330 प्री–मैट्रिक छात्रावासों को, इन छात्रावासों की आवासीय क्षमता में वास्तविक वृद्धि किए बिना 50 सीटर छात्रावास में उन्नयित (दिसम्बर 2012) कर दिया। परिणामस्वरूप, 247 छात्रावासों के रहवासियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक चारपाई दो छात्रों द्वारा साझा किया जा रहा था, शौचालयों और स्नानागारों की कमी इत्यादि।

(विस्तृत विवरण भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन की कंडिका 2.1.6.1 (पृष्ठ संख्या 16 से 17) में है)

रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण

लेखापरीक्षा ने रहवासियों के लिए निर्धारित मासिक स्वास्थ्य परीक्षण में 87 प्रतिशत की कमी देखी। निधि के आवंटन के बावजूद, नमूना जांच किये गये जिलों (धार, खरगौन तथा शहडोल) ने सिकल सेल एनिमिया (एस.सी.ए.) परीक्षण हेतु शिविर का आयोजन नहीं किया। जिला मण्डला ने ₹ 53.55 लाख की पूरी आवंटित निधि का उपयोग किया, जबकि 19 नमूना जांच किये गये आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में से 10 में एस.सी.ए. परीक्षण आयोजित नहीं किए गए। एस.सी.ए. की स्थिति दर्शाते हुए कोई स्वास्थ्य कार्ड उन नौ आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में भी जारी नहीं किए गए थे।

(विस्तृत विवरण भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन की कंडिका 2.1.8 (पृष्ठ क्रमांक 23 से 24) में है)

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (स.आ.आदि.वि.), सिवनी ने अनाधिकृत रूप से बचत बैंक खाता खोला और बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए आदिवासी कल्याण योजना निधियों की राशि ₹ 112.51 करोड़ जमा किया। स.आ.आदि.वि., जमा धन पर ब्याज के क्रेडिट के लिए बैंक के साथ समय पर कार्रवाई करने में भी असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.44 करोड़ की हानि हुई।

(विस्तृत विवरण भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन की कंडिका 2.2 (पृष्ठ संख्या 26 से 27) में है)

––––निरन्तर

- कोयला धारित क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुमति देने से पूर्व, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.) की आपत्ति को संज्ञान में लेने में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सिंगरौली विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप कॉलोनी के विकास पर सिंगरौली विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 1.95 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ क्योंकि बाद में भूमि को एन.सी.एल. द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

(विस्तृत विवरण भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन की कंडिका 2.3 (पृष्ठ संख्या 28 से 29) में है)

कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्यप्रदेश ग्वालियर

उपर्युक्त विषयों पर अन्य कोई जानकारी हेतु निम्न लिखित पते पर सम्पर्क करें :

कार्यालय के प्रवक्ता	श्री जितेन्द्र तिवारी उपमहालेखाकार कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश ऑडिट भवन, झॉसी रोड़, ग्वालियर– 474002
मोबाइल नम्बर	9650999855
ई मेल आई.डी	agaumadhyapradesh1@cag.gov.in, tiwariJ@cag.gov.in
वेबसाइट	www.agmp.nic.in
फैक्स नम्बर	0751-2631290